पटना

पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (PUDA)
वास्तुकार कार्यालय, स्कॉन टी, द्वितीय तल,

000001

पत्र सं० 616 / 10 दि०

प्रेषक – श्री ब्रजेश्वर पूजे
कार्यपालक अभियन्ता, (सी)
पटना नगर निगम।

सेवा में श्रीमान/श्रीमती मुनेश्वर प्रसाद सिंह एवं अन्य
पिता स्व० तारकेश्वर प्र० सिंह
रजापुर, श्रीकृष्णापुरी, पटना

पटना दिनांक / /200

विषय भवन नक्शा सं० 572/09 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके द्वारा प्रस्तावित राजे/म्यूनिसिपल/सर्किल भूखण्ड 2167/466/469 मौजा/मोहल्ला सं० 572/09 की स्वीकृति
रजापुर मौजा/खेसरा सं० 03 के संबंध में दिये गये निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है
पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम की धारा 37 (1) के अन्तर्गत नि[illegible] भवन निर्माण करने की सूचना

1 भवन निर्माण के पूर्व बाईलॉज के एपेंडिक्स एफ में वर्णित प्र[illegible] ने की चहारदीवारी का निर्माण प्राधिकार से ली जायेगी।

2 नक्शे में वर्णित सड़क चौड़ीकरण की भूपट्टी को छोड़कर ह[illegible] किया जाएगा।

3 भवन निर्माण के बाद भवन में प्रवेश करने के पूर्व बाईलॉज के प्र[illegible] स (जी) में वर्णित पथ के साथ कम्पलिशन सर्टीफिकेट अनिवार्य रूप से लेना होगा। यदि ऐसा [illegible] दी होता है तो प्राधिकार स्वीकृत नक्शा को रद्द करने की कार्रवाई कर सकता है।

4 प्राधिकार के बाईलॉज के एपेंडिक्स एफ के अन्तर्गत वर्णित ऑप्[illegible] सर्टीफिकेट प्राप्त करने के बाद ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

5 निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे से किसी प्रकार का विचलन प[illegible] किया जायेगा। विचलन पाए जाने पर लाईसेंसी इंजीनियर/आर्किटेक्ट को इसके लिए उत्तरदायी [illegible] जायेगा तथा उनके लाईसेंस को रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

6 अगर प्रस्तावित स्थल पर पूर्व से निर्मित संरचना है जिसे तोड़व[illegible] माह के अन्दर हटाने का शपथ पत्र दिया गया है तो उसका सीमावर्ती में अनुपालन कृपया से नि[illegible] जायेगा।

7 बहुमंजिला भवन के नक्शे में वर्णित अग्निशामक फायरिंग उपक[illegible] विभाग के भी प्रावधानों को पूरा कर तथा प्राधिकार के अनुमति प्राप्त कर ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

8 वर्णित नक्शे में दिखलाये गये पार्किंग एरिया में किसी प्रकार का [illegible] कार्य नहीं किया जायेगा।

9 महायोजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुसार ही निर्माण [illegible] एवं भवन का उपयोग किया जायेगा।

10 बाईलॉज में उप-विधि 20.01.06 के अनुपालन में आप अपने प्र[illegible] त भूखण्ड में 2-2 च का पेड़ लगाना है।

11 भवन निर्माण के दौरान भूकम्प रोधी तकनीक का प्रावधान करना [illegible] बहुमंजिले भवनों के केस में भूकम्प से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों की सूची को निर्माण [illegible] पर अनिवार्य रूप से डिसप्ले किया जाय।

12 परिसर में Rain water harvesting system का प्रावधान क[illegible] होगा।

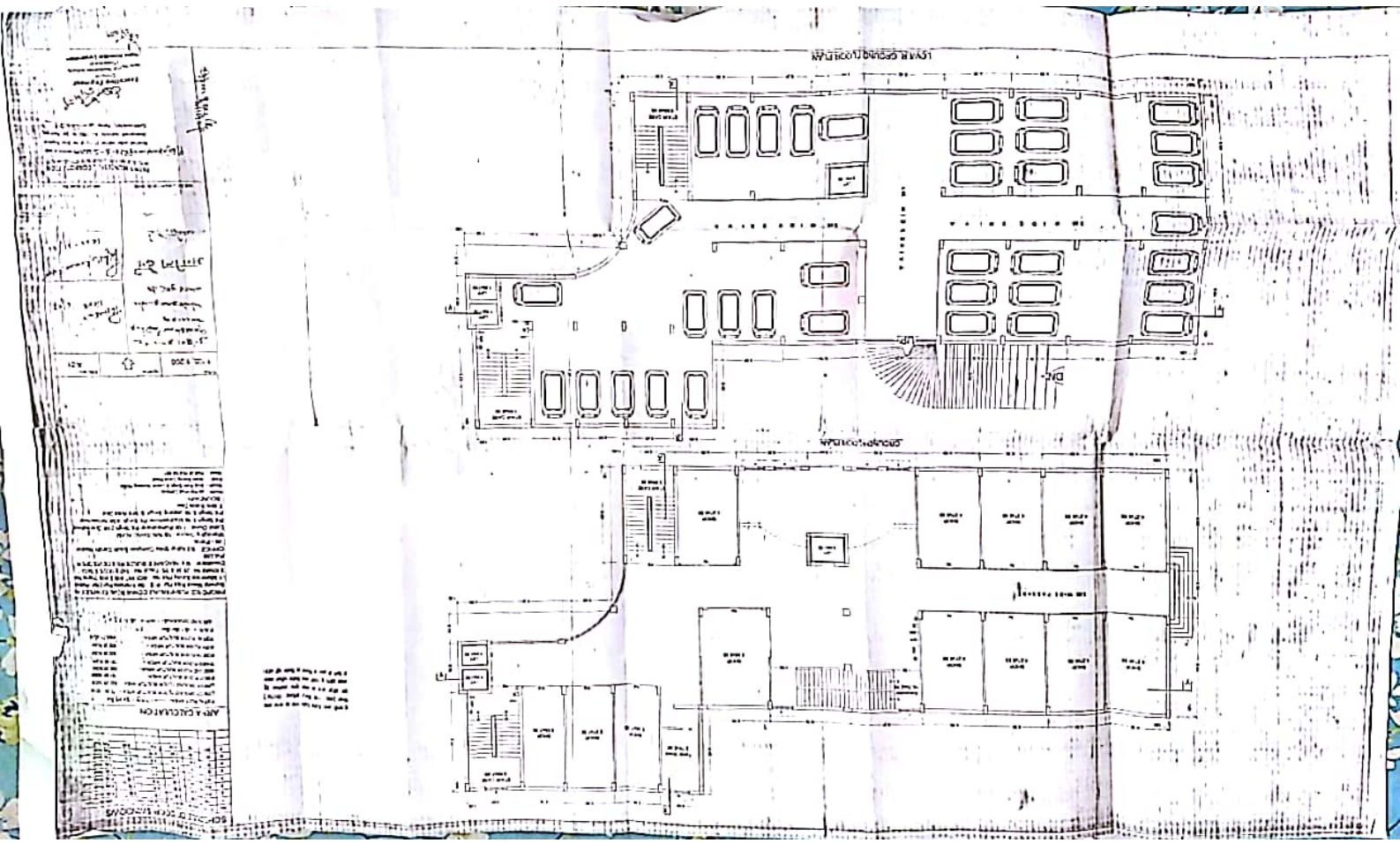
13 पब्लिक बिल्डींग में अपंग व्यक्तियों (Person's with disabil[illegible]) के अनुरोध रहित आवागमन का प्रावधान बाईलॉज के एपेंडिक्स पी के अनुरूप सुनिश्चित करना [illegible]।

14 स्थल पर लगाये गये साईनबोर्ड पर प्राधिकार से पारित नक्शे में [illegible] स्थान तथा पार्किंग नक्शे दिखाने अंकित के लिए है का प्रदर्शन किया जाय।

15 निर्माण स्थल पर प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नक्शे कि एक प्रति [illegible] कार्य स्थल से रखा जाय ताकि प्राधिकार के पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के समय उन्हें स्वीकृत [illegible] उपलब्ध हो सके।

विश्वासभाजन,
03/10/09
कार्यपालक अभियन्ता,
प्रमंडल –
पटना नगर निगम।

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner